न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/57/2025

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2025/283

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री हरिप्रसाद दिनकर C/O श्री गिर्राज प्रसाद जोगी, नि0 जे.पी. नगर (मीणा कॉलोनी) दिल्ली रोड, अलवर–301001		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 21.08.2025

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18.09.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन कियागया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 02.06.2025 के द्वारा "श्री सुरेश चन्द दिनकर द्वारा प्रार्थी स्वयं के कालबेलिया जाति के जाति व मूल निवास प्रमाण–पत्र के विषयक प्रमाण–पत्रों को रद्द करवाने संबंधी संदर्भित जॉच के संबंध में जॉच रिपोर्ट की तथ्यात्मक नकल प्रति" चाही गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किए गए विनिश्चय/प्रेषित सूचना पर आक्षेप व्यक्त कर हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. 1340–41 दिनांकः 18.09.2025 के माध्यम से बिन्दुवार जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन व हस्तगत अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत अपील, प्रत्यर्थी कार्यालय के पत्र सं. जाति प्रमाण–पत्र जॉच/2025/267–69 दिनांकः 31.01.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी कार्यालय को उक्त अधिनियम, 2005 अंतर्गत सूचना आवेदन दिनांकः 02.06.2025 को प्रस्तुत किया गया है जिसके परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. आरटीआई/2025/953 दिनांकः 03.07.2025 के माध्यम से अभिलेख पर उपलब्ध सूचना से संसूचित किया जा चुका है, सूचना प्रेषण की पुष्टि में डाक विभाग के माध्यम से पंजीकृत–पत्र की रसीद भी संलग्न कर प्रस्तुत की गई है।
7. अपील के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा जॉच कार्यवाही पूर्ण कराकर सूचना उपलब्ध कराने की वांछा की गई है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के तहत सूचना की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है, केवल अभिलेखीय सूचना ही उपलब्ध कराई जा सकती है। जॉच कार्यवाही के संबंध में पृथक से उपलब्ध मंच के समक्ष शिकायत/परिवाद के माध्यम से जानकारी संकलित की जा सकती है।
8. अतः उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया जाना विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। **अपील, अपीलार्थी खारिज** कर निस्तारित की जाती है।
9. आज दिनांकः 18.09.2025 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकितकिया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)